न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 123 **दायर दिनांक : 13.09.2019**

सोहनलाल पुत्र श्री लेखूराम जाति भाट निवासी रायांवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. एवं धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थितः

1. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक वादी सं. 1
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ प्रतिवादी

निर्णय **दिनांक : 16/01/2020**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा यह वाद पत्र घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. एवं धारा 136 एल.आर.ए. में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के नाम चक 226 आर.डी.एल. में खाता सं. 66 जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के प.न. 194/35 में 4.100 है. भूमि वा प.न. 194/36 में 0.759 है. कुल 4.589 है. भूमि कमांड पुख्ता आवंटन है वा खातेदारी सनद् भी दिनांक 22.02.1983 को जारी हो चुकी है इसके साथ साथ यह भी उल्लेख किया कि जमाबंदी के खाना सं. 4 में मुझ वादी का नाम सोना राम पुत्र श्री लेखूराम दर्ज है जबकि मुझ वादी का वास्तविक नाम सोहनलाल पुत्र श्री लेखूराम है सामान्य बोलचाल में सोहनलाल के स्थान पर सोनाराम या सोना पुकारा जाता है इसी तरह आगे निवेदन किया कि मुझ वादी के नाम उक्त भूमि के अलावा चक 226 आर.डी.एल. में खाता सं. 90 का प.न. 194/43 में कि.न. 21 की एक बीघा भूमि ओर दर्ज है उक्त भूमि के खाता की जमाबंदी के खाना सं. 4 में सोहनलाल पुत्र श्री लेखूराम दर्ज है। मुझ वादी का नाम निर्वाचन नामावली गांव रायांवाली के भाग सं. 164 की क्रम सं. 297 पर सोहनलाल पुत्र श्री लेखूराम वा आधार कार्ड सं. 985932833548 में भी सोहनलाल पुत्र श्री लेखूराम दर्ज है, जल संसाधन द्वारा जारी मांग पत्र में अपने पत्र क्रमांक 5667 दिनांक 16.12.18 से भी पुष्टि होती है, वादी का राशन कार्ड ग्राम रायांवाली का बना हुआ है जिसमें सोहनलाल पुत्र श्री लेखूराम दर्ज है, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी परिचय पत्र में सोहनलाल पुत्र श्री लेखूराम दर्ज है, सरपंच ग्राम पंचायत रायांवाली द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 07.06.2018 में भी सोनाराम पुत्र श्री लेखूराम के स्थान पर सोहलाल पुत्र श्री लेखूराम अंकित करने की अनुशंसा की है, उक्त तमाम दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये है।

लगातार 2 पर.....

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह भी अंकित किया है कि वह उक्त भूमि की बाबत के.सी.सी. बनवाने हेतू बैंक गया तो उन्होनें रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात बताया कि पहले रिकॉर्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाओ उक्त त्रुटि को सुधारने के लिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के समक्ष माह जून 2019 में गया तो उन्होनें भी कहा कि हम सुधार नहीं कर सकते सक्षम न्यायालय में चाराजोई करो वा आदेश हमें लाकर दो तो कोई कार्यवाही हम कर सकते है इस पर धारा सी.पी.सी. का नोटिस दिनांक 10.06.2019 को दिया गया जिसकी दो माह की अवधि व्यतीत होने के बाद यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है वा निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम सोनाराम पुत्र श्री लेखूराम के स्थान पर सोहनलाल पुत्र श्री लेखूराम अंकित करने के आदेश फरमावें ताकि प्रार्थी को के.सी.सी. बनाने मुख्यमंत्री योजना प्रधान मंत्री कोष से मिलने वाला अनुदान में दिक्कत आ रही है व बाधा दूर होकर प्रार्थी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। अंत में निवेदन किया कि सोनाराम पुत्र श्री लेखूराम के स्थान पर सोहनलाल पुत्र श्री लेखूराम भाट वाके चक 226 आर.डी.एल. का जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 में दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के पश्चात प्रतिवादी तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया नोटिस तामील होने के पश्चात व व्यक्तिगत तामील होने के बाद भी अदालत में उपस्थित नहीं हुये वा ना ही जवाबदावा पेश किया, दिनांक 31.12.2019 को वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिस्ल किया गया।

वादी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वा वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज पर अवलोकन करने पर जोर दिया वा निवेदन किया की वास्तविकता से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता वादी का प्रथम दृष्टया मामला रिकॉर्ड दस्तावेज से बखूबी साबित है कि वादी का नाम सोहनलाल पुत्र श्री लेखूराम भाट दर्ज होना चाहिये किसी कारणवश यह त्रुटि हो गयी है तो उसे दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है, यह हो सकता है कि सोहनलाल उर्फ सोना पुत्र श्री लेखूराम दर्ज कर दिया जाये तो भी वादी के हित सुरक्षित हो जायेंगें इससे किसी भी पक्षकार/सरकार को भी कोई नुकसान होने की गुंजाईश नहीं है वादी एक काश्तकार होने के कारण उसे मिलने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का हकदार हो जायेगा अलग नाम होने से रिकॉर्ड में अनावश्यक परेशानी से भी बच सकेगा। राज्य पक्ष की ओर से नायब तहसीलदार द्वारा भी यह स्वीकार किया कि अभिलेख में त्रुटि है जो दुरूस्त की जानी जरूरी है राज्य पक्ष को ध्यान में रखते हुये निर्णय पारित किया जावें तो हमें कोई एतराज नहीं है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता वा नायब तहसीलदार राज पैरोकार सूरतगढ़ की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली वा तमाम दस्तावेजात् का भी गहनता से अवलोकन किया। वकील वादी द्वारा उठाये गये वाद बिन्दुओं वा

लगातार 3 पर...

दस्तावेज का मिलान करने पर पाया कि वादी का राजस्व रिकॉर्ड में भिन्न नाम अंकित है जिससे उसे अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड रहा है ऐसे तथ्यों का जैसे ही तहसीलदार के संज्ञान में आये तो वह अपने स्तर पर भी दुरूस्त करने की कोशिश करनी चाहिये अन्यथा इस न्यायालय को प्रषित किये जाने पर तुरंत समाधान हो सकता है वा काश्तकार वर्ग को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकता है। उक्त तमाम तथ्यों वा दस्तावेजात् का अवलोकन करने के पश्चात इस निश्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वाद वादी स्वीकार करते हुये वाके चक 226 आर.डी.एल. का जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता सं. 66 खाना सं. 4 में सोहनलाल उर्फ सोनाराम पुत्र श्री लेखूराम भाट नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो, हुक्म मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

सोहनलाल पुत्र श्री लेखूराम जाति भाट निवासी रायांवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. व धारा 136 एल.आर.ए. मुकदमा न. 123 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील वादी श्री सर्वजीत छाबड़ा व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वाके चक 226 आर.डी.एल. का जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता सं. 66 के खाना सं. 4 में सोहनलाल उर्फ सोनाराम पुत्र श्री लेखूराम भाट नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगें।

नोज.....×..... मुबलिग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा .....×..... इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×..... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16/1/20 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.27 17:44:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: